प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– 242/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 10 फरवरी, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6/2022/01/2022–17–1002(002)/1/2022 दिनांक 28.01.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष हेतु 2021–22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–प्त्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तो के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (152) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 10 फरवरी, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6/2022/01/2022–17–1002(002)/1/2022 दिनांक 28.01.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष हेतु 2021–22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/स024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तो के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (152) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 242/नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH SEEDS HATICHERY SC 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 -प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	900000 7366080	900000 7366080
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 7366080	900000 7366080

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिहत्तर लाख छियासठ हजार अस्सी

(पूजा यादव)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS TALAB NIRMAN SC 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	51000 1305000	51000 1305000
2	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	202000 1913200	202000 1913200
3	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	511000 1714500	511000 1714500
4	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	453000 3132000	453000 3132000
5	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 126000	126000 126000
6	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	151000 569800	151000 569800
7	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	551000 10915620	551000 10915620
8	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	101000 107000	101000 107000
9	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	277000 1342000	277000 1342000
10	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	888000 1575000	888000 1575000
11	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 153000	126000 153000
12	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	146000 1946000	146000 1946000
13	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	51000 1052810	51000 1052810
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	126000 966000	126000 966000
15	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 1377600	126000 1377600
16	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	151000 4978000	151000 4978000
17	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	379000 4754800	379000 4754800
18	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	63000 784440	63000 784440

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
19	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	214000 13945000	214000 13945000
20	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1384000 8861680	1384000 8861680
21	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	353000 1842200	353000 1842200
22	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	277000 7622800	277000 7622800
23	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	142000 8610220	142000 8610220
24	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	136000 9012140	136000 9012140
25	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	184000 3774400	184000 3774400
26	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 1152000	252000 1152000
27	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	202000 2437000	202000 2437000
28	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	247000 776980	247000 776980
29	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	365000 1950200	365000 1950200
30	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	76000 697900	76000 697900
	योग	वर्तमान प्रगामी	8311000 99395290	8311000 99395290

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरासी लाख ग्यारह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ तिरानवे लाख पंचानवे हजार दो सौ नब्बे

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-LARGE RAS SC 09-02-2022
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 4348800	1800000 4348800
	योग	वर्तमान प्रगामी	1800000 4348800	1800000 4348800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ

(पूजा ...)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOTER CYCLE WITH ICE BOX SC 09-02-22
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 1203500	27000 1203500
2	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 2679000	27000 2679000
3	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 10364620	27000 10364620
4	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	27000 957000	27000 957000
5	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 687000	27000 687000
6	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 27000	27000 27000
7	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	27000 3843000	27000 3843000
8	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	27000 1001810	27000 1001810
9	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	27000 33000	27000 33000
10	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 4375800	27000 4375800
11	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	27000 721440	27000 721440
12	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	54000 13731000	54000 13731000
13	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	108000 7474080	108000 7474080
14	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 7345800	27000 7345800
15	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	54000 8360220	54000 8360220
16	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 2235000	27000 2235000
17	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 27000	27000 27000
18	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 529980	27000 529980
19	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	54000 798000	54000 798000
	योग	वर्तमान प्रगामी	675000 66394250	675000 66394250

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख पचहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ तिरेसठ लाख चौरानवे हजार दो सौ पचास

(पूजा मान)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CYCLE WITH ICE BOX SC 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600 551240	3600 551240
2	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	25200 3199200	25200 3199200
3	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	3600 7477680	3600 7477680
4	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 805200	7200 805200
	योग	वर्तमान प्रगामी	39600 12033320	39600 12033320

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनतालीस हजार छः सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ बीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX SC 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	108000 1065000	108000 1065000
2	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	108000 1489200	108000 1489200
3	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	108000 8468220	108000 8468220
	योग	वर्तमान प्रगामी	324000 11022420	324000 11022420

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख चौबीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ दस लाख बाइस हजार चार सौ बीस

(पूजा सक्सेना)
वित्त एवं लेखाधिकारी

80

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	मत्स्य बीज हैचरी /**25.0 lacs/ unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाराबंकी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
प्रदेश योग		**1**	**25.00**	**15.00**	**9.00**	**6.00**	**9.00**

28/01/2022

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

(धनराशि रू0 लाख में)

नये तालाब निर्माण अनु0 जाति लाभार्थी							
कमांक	जनपद	क्षेत्रफल हे0	धनराशि	स्वीकृत कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	0.540	3.7800	2.27	1.36	0.91	1.36
2	मैनपुरी	2.029	14.2030	8.52	5.11	3.41	5.11
3	मथुरा	0.800	5.6000	3.36	2.02	1.34	2.02
4	अलीगढ	0.200	1.4000	0.84	0.51	0.33	0.51
5	हाथरस	1.450	10.1500	6.09	3.65	2.44	3.65
6	एटा	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.51
7	कासगंज	1.200	8.4000	5.04	3.02	2.02	3.02
8	मऊ	0.565	3.9550	2.37	1.42	0.95	1.42
9	कानपुरदेहात	0.400	2.8000	1.68	1.01	0.67	1.01
10	इटावा	1.500	10.5000	6.30	3.78	2.52	3.78
11	औरैया	0.686	4.8020	2.88	1.73	1.15	1.73
12	गोरखपुर	0.580	4.0600	2.43	1.46	0.97	1.46
13	महाराजगंज	0.730	5.1100	3.07	1.84	1.23	1.84
14	कुशीनगर	0.800	5.6000	3.36	2.02	1.34	2.02
15	बांदा	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	1.26
16	चित्रकूट	0.000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	हमीरपुर	3.524	24.6680	14.80	8.88	5.92	8.88
18	महोबा	1.000	7.0000	4.20	2.52	1.68	2.52
19	झॉसी	1.100	7.7000	4.62	2.77	1.85	2.77
20	ललितपुर	1.100	7.7000	4.62	2.77	1.85	2.77
21	गोण्डा	0.850	5.9500	3.57	2.14	1.43	2.14
22	बहराइच	1.400	9.8000	5.88	3.53	2.35	3.53
23	अयोध्या	0.250	1.7500	1.05	0.63	0.42	0.63
24	बाराबंकी	5.492	38.4440	23.07	13.84	9.23	13.84
25	बस्ती	0.200	1.4000	0.84	0.51	0.33	0.51
26	अमरोहा	0.300	2.1000	1.26	0.76	0.50	0.76
27	रामपुर	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.51
28	बिजनौर	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	1.26
29	उन्नाव	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	1.26
30	सीतापुर	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	1.26
31	हरदोई	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.51
32	लखीमपुरखीरी	1.504	10.5280	6.32	3.79	2.53	3.79
33	चन्दौली	0.980	6.8600	4.12	2.47	1.65	2.47
प्रदेश योग		32.980	230.8600	138.52	83.11	55.41	83.11

(रूपये तिरासी लाख ग्यारह हजार मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कम	जनपद	वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	लखीमपुरखीरी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
प्रदेश योग		**1**	**50.00**	**30.00**	**18.00**	**12.00**	**18.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

मोटर साईकिल विथ आइस वॉक्स / **Rs. 0.75 lacs/unit**

अनु0 जाति लाभार्थी

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैनपुरी	1.	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
2	कासगंज	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
3	आजमगढ	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
4	मऊ	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.540
5	कौशम्बी	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.540
6	औरैया	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
7	कुशीनगर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
8	बांदा	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
9	हमीरपुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
10	झॉसी	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
11	ललितपुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
12	गोण्डा	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.540
13	अयोध्या	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
14	अम्बेडकर नगर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
15	बाराबंकी	4	3.000	1.800	1.080	0.720	1.080
16	बस्ती	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
17	लखीमपुरखीरी	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
18	चन्दौली	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
19	मिर्जापुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.270
प्रदेश योग		**25**	**18.750**	**11.250**	**6.750**	**4.500**	**6.750**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	साईकिल विथ आइस बॉक्स / Rs. 0.10 lacs/unit					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	7	0.700	0.420	0.252	0.168	0.252
2	कौशम्बी	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.072
3	बाराबंकी	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036
4	पीलीभीत	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036
प्रदेश योग		**11**	**1.100**	**0.660**	**0.396**	**0.264**	**0.396**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स / **Rs. 3.0 lacs/unit cost**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08
2	झाँसी	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08
3	बहराइच	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08
प्रदेश योग		**3**	**9.00**	**5.40**	**3.24**	**2.16**	**3.24**

28/01/2022

संख्या: 6 /2022/ 01/ 2022 -17-1002(002)/1/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

JDF/DD(P)

31-01-2022
(डा० हरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक (मु०)

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 04 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में से रू0 200.83 लाख (केन्द्रांश रू0 120.50 लाख + मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद हेतु भारत सरकार के पत्रांक W- 11011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 120.50 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कुल रू0 1851.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत, वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत मात्र केन्दांश धनराशि रू0 120.50 लाख (रू0 एक करोड बीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 06 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

DD(P)

01-02-22
राजेन्द्र सिंह
संयुक्त निदेशक मत्स्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के036+रा024+ला0-40 के0+रा0)	इकाई (है0/ सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	3	25.00	75.00	27.00	18.00	30.00	9.00	9.00
2	नये तालाबों का निर्माण	64.00	7.00	448.00	161.28	107.52	179.20	83.11	83.11
3	वृहद आर0ए0एस0/बायोफ्लाक का निर्माण	2	50.00	100.00	36.00	24.00	40.00	18.00	18.00
4	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	25	0.75	18.75	6.75	4.50	7.50	6.75	6.75
5	साइकिल विद आइसबाक्स	11	0.10	1.10	0.40	0.26	0.44	0.40	0.40
6	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स.+रा.)	6	3.00	18.00	6.48	4.32	7.20	3.24	3.24
	कुल योग							120.50	120.50

(रू0 एक करोड बीस लाख पचास हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तों के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या-ई-1-3508-दस-2021-2022 दिनांक-27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

(कृपा शंकर यादव)

Date: 28-01-2022 13:19:07

उप सचिव।

Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)

संख्या- 6 /2022/ 01 (1)/ 17-1002(002)/1/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

7- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

9- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।